यू0पी0 हैन्डीक्राफ्ट्स डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि0

पंजीकृत कार्यालय–2–राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ
दूरभाष सं0 (0522) 2230818, 2283760 Fax- 2610575
E-mail-upec@sify.com Website-upexport.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हेतु मैन्युअल

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :–

उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0 की स्थापना कम्पनी अधिनियम–1956 के अन्तर्गत 20 जनवरी, 1966 को की गयी थी। निगम का पंजीकृत कार्यालय, मोती महल परिसर, 2–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थापित है। वर्ष 2008 में निगम का नाम यू0पी0 हैन्डीक्राफ्ट्स डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि0 परिवर्तित किया गया।

स्थापना के समय निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन एवं प्रोत्साहन था। इसके अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों को निर्यात में सहायता प्रदान की जाती थी। वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट यू0पी0 हैन्डीक्राफ्ट्स प्रभाग को भी निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप निगम का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ हस्तशिल्प एवं हथकरघा का विकास एवं विपणन भी हो गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश से निर्यात प्रोत्साहन का कार्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

वर्तमान में निगम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :–

1. प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का विकास एवं विपणन का कार्य देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में स्थित गंगोत्री प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से किया जाता है।
2. प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का सीधा निर्यात करना अथवा ऐसे उत्पादों का निर्यात जिसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित किया जाये।
3. प्रदेश के हस्तशिल्पियों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने एवं क्रेताओं से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्र/राज्य सरकार की सहायता से क्राफ्ट बाजार एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

2. निर्यात निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व :–

निगम में शासन द्वारा निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। निदेशक मण्डल का कार्य नीतिगत निर्णय लेना है। प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसमें निगम के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु समस्त प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय शक्तियॉ निहित हैं। प्रबन्ध निदेशक के अधीनस्थ

वाणियज्यिक क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु निगम की सेवा के अधिशासी एवं उप–अधिशासी (वाणिज्यिक) एवं लिपिकीय संवर्ग कार्यरत् है। इसी प्रकार निगम के वित्त एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतुं वित्त नियन्त्रक, उप अधिशासी (लेखा) एवं सहायक लेखाकार तथा अन्य लेखा लिपिक कार्यरत् हैं। विधिक कार्यों के निष्पादन हेतु उप अधिशासी (विधि) एवं लिपिकीय संवर्ग द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। स्थापना सम्बन्धी कार्य वित्त नियन्त्रक एवं लिपिकीय सहयोग द्वारा निष्पादित हो रहे हैं। उपर्युक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य निष्पादित करते हैं।

3. कार्य प्रणाली

(अ) निगम द्वारा देश के प्रमुख नगरों में गंगोत्री प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का विपणन किया जाता है। उत्पादों के विपणन के लिये तीन प्रक्रियायें अपनाई गयी हैं :–

i. **क्रय योजना** :–
इस योजना के अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार करके छोटे एवं मझोले कारीगरों से उनके उत्पादों को सीधे क्रय करने के लिये चयन समिति द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। बाजार में प्रचलित मॉग के अनुसार कारीगरों से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद क्रय किये जाते हैं जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के अन्दर किया जाता है।

ii. **कन्साइनमेन्ट योजना** :–
इस योजना के अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार करके उत्पादकों एवं कारीगरों को चयन समिति द्वारा चयनित एवं निर्धारित मूल्य के अनुसार हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को गंगोत्री प्रदर्शनकक्षों में प्रदर्शित एवं बिक्री करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत प्रतिमाह की गयी बिक्री के आधार पर उत्पादक/कारीगर को उनके क्रय मूल्य का भुगतान अवमुक्त कर दिया जाता है।

iii. **बिक्री एवं वापसी योजना** :–
इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादों के विपणन हेतु समाचार पत्रों एवं सर्वेक्षण के माध्यम से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। सफल आवेदकों को गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष के माध्यम से वॉछित उत्पादों के विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिमाह की गयी बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित बिक्री लक्ष्य के अनुसार ग्रास प्राफिट मार्कअप (सर्विस चार्ज) प्राप्त कर शेष बिक्री की धनराशि अवमुक्त कर दी जाती है।

(ब) **प्रोत्साहन योजना** :–

निगम द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार की सहायता से देश के प्रमुख नगरों/महानगरों में क्राफ्ट बाजार क्रेता–बिक्रेता सम्मेलन, थीमेटिक प्रदर्शनी, डिजाइन

विकास कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कारीगरों के उत्पादों को जनता के बीच पहुँचाकर सीधे विपणन की सुविधा प्रदान करना एवं उनकी कला का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से थीमेटिक प्रदर्शनी का आयोजन करना है, जिसमें कला का जीवन्त प्रदर्शन किया जाता है। इसी प्रकार कारीगरों के लाभ कें लिये प्रशिक्षित एवं कुशल डिजाइनरों की देख–रेख में विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों की कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं, जिसके अन्तर्गत कारीगरों को प्रचलित मॉग के अनुसार नये डिजाइन सीखने का अवसर प्राप्त होता है।

4. **निगम में उपलब्ध अभिलेखों का विवरण** :–

1. निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त
2. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय/पत्रावलियॉ
3. कार्यालय ज्ञाप/आदेश
4. शासनादेशों की प्रतियॉ
5. लेखा विभाग से सम्बन्धित रजिस्टर, बिल, वाउचर्स आदि
6. सचिवीय/स्थापना से सम्बन्धित पत्रावलियॉ
7. पत्रावलियों के रख–रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर

5. **काउन्सिल बोर्ड एवं कमेटी का गठन** :–

(अ) निगम का गठन कम्पनी अधिनियम–1956 के अधीन किया गया है। अतः निगम के संचालन के लिये निदेशक मण्डल का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष एवं निदेशकों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। निदेशक मण्डल द्वारा नीति विषयक निर्णय लिया जाता है एवं निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। निदेशक मण्डल की नियमतः प्रत्येक त्रैमास में बैठक सम्पन्न होती है। निगम के कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति के होने के कारण निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये नीति विषयक निर्णय/कार्यवृत्त जनसामान्य के सूचनार्थ उपलब्ध नहीं हैं।

(ब) निगम के वाधिज्यिक कियकलापों के निष्पादन हेतु विभिन्न हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के क्रय/कन्साइनमेन्ट आधार पर चयन करने के लिये समय–समय पर चयन समिति का गठन किया जाता है। चयन समिति की रिर्पोट वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण जनसामान्य के सूचनार्थ उपलब्ध नहीं है।

6.(अ) **निदेशक मण्डल में निदेशकों की सूची** :–

(अक्टूबर, 2012 की स्थिति)

1.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0 प्र0 शासन	निदेशक
3.	श्री विजय कान्त दुबे, विशेष सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0 प्र0 शासन	प्रबन्ध निदेशक
4.	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0	निदेशक
5.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार	निदेशक
6.	विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	निदेशक
7.	विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	निदेशक
8.	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0	निदेशक

7. **वित्तीय संरचना** :–

अधिकृत अंशपूँजी	रू0 1000.00 लाख
प्रदत्त पूँजी	रू0 724.27 लाख
राज्यॉश	रू0 634.27 लाख
केन्द्रॉश	रू0 90.00 लाख

8.(अ) **उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ द्वारा संचालित प्रदर्शनकक्षों के पते एवं दूरभाष संख्या**

क्रमॉक	गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष का पता	दूरभाष संख्या
1.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, 16, पी0पी0एन0 मार्केट, कानपुर।	0512–2354870
2.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, अमीनाबाद, लखनऊ	0522–2624362
3.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, 31/29, हजरतगंज, लखनऊ	0522–2624377
4.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, आविद रोड, हैदराबाद	040–23202308
5.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, 12–बी, लिण्डसे स्ट्रीट, कोलकता	033–22525714
6.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, एफ–47–49, दक्षिणापन शॉपिंग काम्पलेक्स, 2–गरियाहाट रोड (साउथ), कोलकता	033–24237562
7.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम	011–23742011

	लि0, 5–बी, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली	011–23343559 फैक्स–23340014
8.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, कामधेनु कामशिर्यल काम्पलेक्स, अम्बाबाड़ी, अहमदाबाद	079–26305029
9.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, 38, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई	022–22188187
10.	गंगोत्री, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, माउन्ट रोड, नागपुर	0712–2533221

8.(ब) **उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, 2–राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ द्वारा संचालित प्रशाखाओं/कार्यालय के पते एवं दूरभाष संख्या**

क्रमॉक	प्रशाखा/कार्यालय का पता एवं प्रभारी का नाम व पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	काष्ठ तराश प्रशाखा, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, अलीअहेनग्रान, सहारनपुर	0132–2644312
2.	एयर कार्गो काम्पलेक्स, बावतपुर, वाराणसी	0542–2622232

9. **भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त कराने की व्यवस्था** :–

उ0 प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 में नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

1. श्री राघवेन्द्र सिंह, अधिशासी (वाणिज्यिक), मुख्यालय, लखनऊ – नामित जनसूचना अधिकारी।
2. **कार्य दिवसः**– सोमवार से शनिवार (द्वितीय शनिवार एवं सार्वजनिक अवकाश छोड़कर)
3. **कार्यालय कार्य अवधि** – प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक

(जन सूचनाधिकारी)